श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, माननीय लोकसभा सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2014 को जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, मधेपुरा की बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी–सह–सचिव, जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, मधेपुरा द्वारा माननीय अध्यक्ष, जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति तथा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। जिलाधिकारी–सह–सचिव, जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, मधेपुरा द्वारा माननीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का माननीय लोक सभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए मधेपुरा जिला की ओर से स्वागत किया गया, तथा माननीय अध्यक्ष महोदय से सदन को संबोधित करने का अनुरोध करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

माननीय सांसद–सह–अध्यक्ष, निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, मधेपुरा द्वारा सबसे पहले जिलाधिकारी के स्वागत पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् जिलाधिकारी को विगत बैठक की कार्यवाही एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शिका के अनुसार समीक्षा की जानी होती है।

1. मनरेगा
2. इंदिरा आवास योजना
3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
4. एन0एल0आर0एम0पी0
5. ए0आर0डब्ल्यू0एस0पी0
6. आर0एस0पी0 (ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम)
7. एन0एस0ए0पी0 (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम)
8. राजीव गांधी विद्युतीकरण

पूर्व की बैठक की कार्यवाही का अनुपालन पढ़कर सुनाया गया एवं सम्पुष्ट किया गया एवं निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा किया गया –

1. इन्दिरा आवास योजना :–

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा गत बैठक की कार्यवाही एवं उसका अनुपालन पढ़कर माननीय सदस्यों को सुनाया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया

कि वित्तीय वर्ष–2013–14 में सामान्य इंदिरा आवास मद में कुल 11858 ईकाई परिवारों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था और प्राप्त लक्ष्य के अनुसार कुल 10677 इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 में, वर्ष 2013–14 एवं उसके पूर्व के वर्षो का कुल द्वितीय किस्त की राशि देने का लक्ष्य 46385 निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अभी तक 22039 लाभूकों को लाभान्वित किया गया है। शेष बचे हुए लाभूकों के लिए प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को प्रखंड स्तर पर शिविर का आयोजन कर द्वितीय किस्त की राशि देने का निदेश सरकार से प्राप्त है। परंतु जिला स्तर से प्रत्येक मंगलवार को शिविर आयोजित कर लाभूकों को राशि दिया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रथम किस्त की राशि जिन लाभूकों को उपलब्ध कराया गया है और उनके द्वारा आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है वैसे लाभूकों को उजला एवं लाल नोटिस तामिला कराया गया है तथा नीलामपत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि जिन लाभूकों के द्वारा आवास निर्माण पूर्ण कर लिया गया है उन लाभूकों को शौचालय निर्माण हेतु 10000/ रू0 अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्रवा बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि जो लाभूक इंदिरा आवास की राशि ले लिये हैं और गृह निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनको आवास बनाने हेतु प्रेरित किया जाय।

समीक्षा के क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास में बिचोलियों के द्वारा लाभूकों से इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर राशि की उगाही की जाती है जो गंभीर समस्या है। उन्हेांने बिचोलियों से लाभूकों को मुक्त करने के संबंध में जिलाधिकारी को अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही यह भी सलाह दिया गया कि जिला स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित कर प्रखंडों में भेजी जाय ताकि बिचोलियों के मन में भय उत्पन्न हो सके। जिलाधिकरी द्वारा बताया गया कि बिचोलियों पर नकेल कसने हेतु कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि इंदिरा आवास प्रतीक्षा सूची/बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दी जाती है। इसके लिए कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लाभूकों को इंदिरा आवास का खाता खोलने से लेकर राशि वितरण तक का कार्य